



तिंग / ३१९९/८८/१५

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

८५, २४-९०९५ के बारे में  
६१८८७ अंक  
९४-९-१५

/2015 जिला-शिवपुरी

- 1- अशोक पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
- 2- शोरा पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
- 3- अमोल सिंह पुत्र श्री सिरनाम सिंह
- 4- वीरपाल पुत्र श्री अमोल सिंह  
निवासी - ग्राम पचराई, तहसील खनियाधाना  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदकगण

### विरुद्ध

सिरदार पुत्र श्री कल्याण सिंह यादव  
निवासी- पचराई तहसील खनियाधाना  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार खनियाधाना (वृत 1) जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/2014-15/अ-70 अपील में पारित आदेश दिनांक 09.09.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

### मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1- यहकि, अनावेदक द्वारा तहसीलदार खनियाधाना के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया। कि मेरे द्वारा उपरोक्त भूमि का सीमांकन कराया गया है जिसमें मेरी भूमि आवेदकगण के कब्जे में पायी गयी है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण को उपरोक्त भूमि से बेदखल किया जाये एवं उन्हे कब्जा वापिस दिलाया जाये।

2- यहकि, आवेदकगण की ओर से उपरोक्त आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि उनकी उपस्थिति में सीमांकन नहीं किया गया है। और न ही उनका उपरोक्त भूमि पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में 250 का आवेदन पत्र सब्य निरस्त किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र पर कोई विचार किये बिना तथा उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही पारित आदेश दिनांक 09.09.2015 से यह आदेश पारित

30/9/2015

गोपनीय

प्रश्नावाक्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
 आदेश पृष्ठ  
 भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3177-तीन /2015

जिला शिवपुरी

अशोक आदि विरुद्ध सिरदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ते एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-12-2015	<p>आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0          भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार खनियाधाना (वृत्त 1) जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 06 / 2014-15 / अ-70 में पारित आदेश दिनांक 09-09-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ प्रकरण में संलग्न तहसीलदार के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की भूमि पर आवेदकों का अवैध कब्जा पाये जाने से तहसीलदार द्वारा एक लाख रुपये अर्थदण्ड आरोपित करते हुये मौके से बेदखली एवं अनावेदक भूमिस्वामी को 7 दिवस में कब्जा सौंपने के आदेश दिये हैं। आगामी पेशी दिनांक 17-9-15 को भूमिस्वामी को कब्जा सौंपकर कब्जा रसीद न्यायालय में पेश नहीं करने से प्रकरण सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजने के आदेश दिये हैं। जबकि आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने के अनुरोध पर पुनर्ख्य में आदेश दिनांक 09-9-15 के आदेश का कियान्वयन 15 दिवस के लिए स्थगित भी किया है। आवेदक का तर्क में मौखिक रूप से बताया है कि अब उसका अनावेदक से राजीनामा हो गया है और कब्जा भी</p>	

कब्जा भी सौंप दिया है अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये। यदि आवेदक द्वारा अनावेदक को कब्जा सौंप दिया है और उनका आपसी राजीनामा हो गया है तो वह इस बावत जानकारी तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ मधु खरे)  
सदस्य